प्रा०-संख्या—67

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11 / लाई०–
न्यूज पेपर / 91 / 05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 मार्च, 2006
फाल्गुन 26, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 246 / सात–वि०–1-01(क)1-2006
लखनऊ, 17 मार्च, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 14 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2006)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17-क में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु राज्य सरकार कृषि प्रसंस्करण इकाई के ऐसे तैयार उत्पाद जो विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन न हो, पर (विकास सेस को छोड़कर) मण्डी शुल्क में छूट प्रदान कर सकती है या उसके दर में कमी कर सकती है।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने और राज्य में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के किसी ऐसे तैयार उत्पाद, जो विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद है, और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद नहीं है, पर मण्डी शुल्क में छूट प्रदान करने या उसके दर में कमी करने के निमित्त राज्य सरकार को सशक्त करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

राम हरि विजय त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 246/VII-V-1-1(ka)1-2006

Dated Lucknow, March 17, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2006

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006

(U.P. ACT NO. 2 OF 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

Amendment of section 17-A of U.P. Act no. 25 of 1964

2. In section 17-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, in sub-section (1) the following proviso shall be inserted at the end, namely :–

"Provided that the State Government may exempt, or reduce the rate of, market fee (excluding development cess) on a finished product of Agro Processing Unit which is a specified agricultural produce and the material used therein is not a specified agricultural produce."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to encourage the establishment of Agro Processing Units, to promote the marketing of the specified agricultural produce to be used as raw material by the said units and to encourage the export of the specified agricultural produce in the State it has been decided to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 to empower the State Government to exempt, or reduce the rate of, market fee on a finished product of Agro Processing units which is a specified agricultural produce and the material used therein is not a specified agricultural produce.

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Vidheyak, 2006 is introduced accordingly.

By Order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2301 राजपत्र(हि०)–(3406)–2006–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 180 सा० विधा०–(3407)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।